



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-25102025-267101
CG-UP-E-25102025-267101

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4567]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 16, 2025/आश्विन 24, 1947

No. 4567]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 16, 2025/ASVINA 24, 1947

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे, (निर्माण विभाग)]

अधिसूचना

प्रयागराज, 27 सितम्बर, 2025

का.आ. 4696(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, राजस्थान राज्य के जिले अलवर एवं दौसा में विशेष रेल परियोजना अर्थात् आगरा फोर्ट -बांदीकुई रेल लाईन दोहरीकरण परियोजना (150किमी.) के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उपधारा (1) के अधीन उपरोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनु विभागीय अधिकारी (राजस्व) भरतपुर राजस्थान को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को या तो व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अननुज्ञात

कर सकेगा उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची राजस्थान राज्य में आगरा फोर्ट-बांदीकुई के मध्य दोहरीकरण रेल परियोजना (150 किमी) के लिए अलवर एवं दौसा जिले में जाने वाली अवसंरचना सहित या रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।					
क्र. सं.	जिला	तहसील	ग्राम का नाम	प्लॉट संख्या	रेलवे द्वारा अधिग्रहण किये जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्ट.)
1.	अलवर	कठूमर	डहरीन दांतवाड	15	0.1240
				16	0.1020
				16/1599	
				17	0.0777
				कुल योग	0.3037
2.	अलवर	कठूमर	मोती का नगला	195	0.0702
				200	0.0498
				201	0.0876
				202	0.0926
				311	0.0089
				313/1506	0.0354
				313/440	0.0492
				313	0.0093
				321	0.0010
				322/488	0.0010
				322/487	0.0010
				348	0.0048
				347	0.0002
				400/505	0.0001
				401	0.0025
				कुल योग	0.4136
3.	अलवर	कठूमर	रौनीजाथान	1523	0.0880
				कुल योग	0.0880
4.	अलवर	कठूमर	सहजपुरा	464	0.0172
				466	0.2097
				467	0.0572
				468	0.0644
				कुल योग	0.3485
5.	अलवर	कठूमर	खेरलीरेल	175	0.0487
				305	0.1835
				कुल योग	0.2322
6.	दौसा	बसवा	केशोपुरा	271	0.0378
				270	0.0593
				275	0.0100
				392/276	0.0042

				391/276	0.0131
				कुल योग	0.1244
				महायोग	1.5104

[फा. सं. एनसीआर-एचक्यूशून्यसीईएनजी(एलएएनडी)/6/2024-ओ/ओ डिप्टी चीफ इंजी./कन्स्ट्रक्शन-एक/एजीसी]

(कम्प्यूटर संख्या: 114142)

विपिन कुमार, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Central Railway (Construction Department)]

NOTIFICATION

Prayagraj, the 27th September, 2025

S.O. 4696(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Agra Fort - Bandikui doubling Railway project (150 km) in the district of Alwar and Dausa in the State of Rajasthan, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20 D of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, **Tehsil Kathumar and Baswa (District Alwar and Dausa)** Rajasthan in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may after hearing such objections and after making such further enquiry if any as the Competent Authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20 D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE					
Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, for the special Railway Project, Namely Agra Fort - Bandikui in District of Alwar and Dausa in the state of Rajasthan.					
S.N.	DISTRICT	TEHSIL	VILLAGE NAME	PLOT No.	Acquired Area(Hec.)
1	2	3	4	5	6
1.	Alwar	Kathumar	Daharin Dantwara	15	0.1240
				16	0.1020
				16/1599	
				17	0.0777
				Total	0.3037
2.	Alwar	Kathumar	Moti ka Nagala	195	0.0702
				200	0.0498
				201	0.0876
				202	0.0926
				311	0.0089
				313/1506	0.0354
				313/440	0.0492
				313	0.0093
				321	0.0010
				322/488	0.0010
				322/487	0.0010
				348	0.0048

				347	0.0002
				400/505	0.0001
				401	0.0025
				Total	0.4136
3.	Alwar	Kathumar	Raunijathan	1523	0.0880
				Total	0.0880
4.	Alwar	Kathumar	Sahejpura	464	0.0172
				466	0.2097
				467	0.0572
				468	0.0644
				Total	0.3485
5.	Alwar	Kathumar	Kherli Rel	175	0.0487
				305	0.1835
				Total	0.2322
6.	Dausa	Baswa	Keshopura	271	0.0378
				270	0.0593
				275	0.0100
				392/276	0.0042
				391/276	0.0131
				Total	0.1244
				Grand Total	1.5104

[F. No. NCR-HQ0CENG(LAND)/6/2024-O/o DY.CE/C-I/AGC] (Computer No.114142)

VIPIN KUMAR, Chief Administrative Officer (Construction)